पत्रांक–भवन / बजट–विविध–(बजट प्राक्कलन)–09 / 2026–27.....

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक, बापू टावर, पटना।

अतिमहत्वपूर्ण

संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)
निदेशक अनुश्रवण,
निदेशक, निरूपण इकाई,
निदेशक गुणवत्ता (दक्षिण, मध्य एवं उत्तर)
उप निदेशक–1 एवं 2
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)
कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, पटना।
स्थानिक अभियंता, बिहार भवन, नई दिल्ली।

पटना, दिनांकः–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2027–28 का बजट प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–967 दिनांक–11.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 का बजट प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा–निर्देश देते हुए दिनांक–01.10.2026 तक वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2027–28 का बजट प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रविष्टि सहित एक सप्ताह के अन्दर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ताकि इस संबंध में ससमय अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 7584 पटना, दिनांकः– 13/8/26

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को **विभागीय वेबसाईट** पर अपलोड करने एवं सभी कार्यालय को **ई–मेल** करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक- ब15/बी०एस०जी०-295/2026- 967 /वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह
सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/सभी नियंत्री पदाधिकारी।
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 11.08.2026

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2027-28 का बजट प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार कर वित्त विभाग को ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश।**

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए बजट तैयारी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। आप अवगत होंगे कि सीमित संसाधनों से राज्य के समावेशी विकास के लिए सरकार की नीतियों तथा विकास/जनकल्याण के कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उनके योजनाबद्ध क्रियान्वयन हेतु राशि उपबंधित करने के लिए वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। राज्य सरकार के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बजट एक महत्वपूर्ण साधन है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं नियमावली, 2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2027-28 का व्यय प्रस्ताव तैयार किया जाना है। राजस्व घाटा को शून्य तथा राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिसीमा तक रखा जाना है। इसलिए बजट प्राक्कलन तैयार करते समय मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के सिद्धान्त का अनुपालन अवश्य किया जाय। व्यय की अत्यावश्यकता के गहन समीक्षोपरान्त ही बजट उपबंध कराया जाना होगा। अतएव गहन समीक्षा कर ली जाय एवं आवश्यकता आधारित (**Need Based**) प्रस्ताव ही भेजा जाय।

भाग-क. बजट प्रस्तावना

2. बजट के लेखे- राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा निधि के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट प्रावधान राज्य की समेकित निधि के विभिन्न शीर्षों में किया जाता है। समेकित निधि प्राप्ति एवं व्यय में विभक्त होता है। व्यय को राजस्व एवं पूंजीगत खाते में विभक्त किया जाता है, जिसे प्रभृत एवं मतदेय में बाँटा जाता है। इसी प्रकार प्राप्ति को राजस्व प्राप्ति एवं पूंजीगत प्राप्ति के रूप में अलग-अलग दिखाया जाता है। इस प्रकार बजट का निर्माण राजस्व एवं पूंजीगत

खाते पर प्राप्ति एवं व्यय दोनों मदों में किया जाता है जिसके लिए मुख्य शीर्ष (Major Head) का समूह निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

क्र.	बजट के वर्ग	चार अंकीय मुख्य शीर्ष (Major Head) के प्रथम अंक
1	राजस्व प्राप्ति	0 या 1
2	राजस्व व्यय	2 या 3
3	पूंजीगत प्राप्ति मुख्य शीर्ष	4000
4	पूंजीगत परिव्यय	4 या 5
5	लोक ऋण (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	6001 - 6005
6	ऋण एवं अग्रिम (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	6075 - 7810
7	आकस्मिकता निधि (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	8000
8	लोक लेखा (प्राप्ति एवं व्यय) मुख्य शीर्ष	8001 - 8999

3. विपत्र कोड- बजट का उपबंध 19 अंकीय विपत्र कोड में किया जाता है, जिसकी संरचना नीचे के सारणी से समझी जा सकती है। CFMS लागू होने के बाद प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित बजट शीर्ष के साथ संबंधित मांग संख्या को जोड़ा गया है। विपत्र कोड की संरचना अब निम्वनत् है:-

क्र.	विषय	कोड
1	मांग संख्या	2 अंक (यथा 01 - कृषि विभाग, 21 शिक्षा आदि)
2	मुख्य शीर्ष	4 अंक (यथा- 2401 कृषि, 2210-स्वास्थ्य आदि)
3	उपमुख्य शीर्ष	2 अंक (यथा- 00, 01, 02)
4	लघु शीर्ष	3 अंक (यथा- 001, 101, 102)
5	उपशीर्ष	4 अंक (यथा- 0001, 0101 आदि)
6	विस्तृत शीर्ष	2 अंक (01 वेतन, 13 कार्यालय व्यय आदि)
7	विषय शीर्ष	2 अंक(01, 02, 06 आदि)

क्रमांक 1 से 5 तक शीर्ष कोडों को मिलाकर 15 अंकीय विपत्र कोड बनता है। जैसे 12-2054.00.097.0001 कोषागार स्थापना, 12-2052.00.090.0008 वित्त विभाग आदि । इन विपत्र कोडों के अंतर्गत क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित विस्तृत एवं विषय शीर्षों में राशि का उपबंध किया जाता है। विस्तृत शीर्ष एवं विषय शीर्ष दो-दो अंकों का कोड है, जो प्राप्ति एवं व्यय मदों के लिए अंतिम प्राथमिक इकाई है।

वस्तृत एवं विषय शीर्षों की सूची अनुलग्नक-1 में देखी जा सकती है।

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 से गैर योजना एवं योजना मद का एकीकरण करते हुए बजट को मुख्यतः छः वर्गों में विभाजित किया गया है, जिन्हें विपत्र कोड के चार अंकीय उपशीर्ष के प्रथम दो अंकों के आधार पर निम्नवत् पहचाना जा सकता है:-

क्र.सं.	बजट के वर्ग	चार अंकीय उपशीर्ष के प्रथम दो अंक
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	00 (यथा 0001, 0020)
2	राज्य स्कीम	01 (यथा 0101, 0123)
3	केन्द्र प्रायोजित स्कीम का केन्द्रांश	02 (यथा 0201, 0218)
4	केन्द्र प्रायोजित स्कीम का राज्यांश	03 (यथा 0301, 0318)
5	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	04 (यथा 0401, 0421)
6	बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के राज्यांश एवं केन्द्रांश	05 (यथा 0501, 0511)

भाग-ख. बजट प्राक्कलन तैयार करने हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में वेतन एवं भत्ते, मजदूरी, यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कार्यालय व्यय, सामग्री एवं आपूर्ति, मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन, प्रशिक्षण, अनुरक्षण एवं मरम्मति, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं, किराया महसूल एवं कर, मोटर गाड़ी क्रय, पेंशन प्रभार, ऋण/ब्याज का भुगतान एवं अन्य व्यय जो एक कार्यालय के दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, सम्मिलित हैं। स्थापना मद में होने वाले व्यय का आकलन वास्तविक परक किया जाना आवश्यक है ताकि सरकारी कर्मियों के वेतनादि भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

5.1 सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों की संख्या के संबंध में निर्धारित प्रपत्र **(प्रपत्र-v)** में सूचना देने के अतिरिक्त प्रत्येक उपशीर्ष के संबंध में दिये गए प्राक्क्लन के औचित्य के संबंध में एक **आत्मभारित टिप्पणी** निम्नांकित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध करायें:-

(क) उपशीर्ष से संबंधित कार्य अथवा स्कीम के उद्देश्य ।

(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम के समेकित उद्देश्य (Overall Objective) के संबंध में औचित्य ।

(ग) वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा 2027-28 के लिए प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य ।

(घ) उपशीर्ष से संबंधित अथवा स्कीम में वर्तमान में स्वीकृत/कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के पद एवं पदों की संख्या का औचित्य ।

5.2 सभी विभागाध्यक्ष एवं नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वर्तमान की सभी स्कीमों की गहराई से समीक्षा की जाय, ताकि ऐसी स्कीमें जो वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रही हों, को समाप्त किया जा सके अथवा फेज आउट किया जा सके तथा ऐसी स्कीमों के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके । जहां कार्यरत बल अधिक है, उन्हें अन्यत्र पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया जाय । प्रशासी विभाग द्वारा विभागवार एवं पदवार तथा वेतनमान के अनुसार कुल स्वीकृत एवं कार्यरत बल की समेकित विवरणी भी उपलब्ध करायी जानी है।

5.3 वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट प्राक्कलन- विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए उतनी ही राशि का बजट में प्रावधान कराया जाना चाहिए जितनी राशि का व्यय होना संभावित है। किसी

में उपशीर्ष में राशि की बचत नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए ही आवश्यकता के आधार पर संबंधित उपशीर्ष में बजट उपबंध किया जाना है।

यहां यह भी ध्यान रखा जाना है कि वर्ष 2027-28 में उपशीर्षवार तथा विस्तृतशीर्ष एवं विषयशीर्षवार राशि का प्राक्कलन वर्ष 2026-27 को आधार बनाकर नहीं किया जाना है, बल्कि वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनादि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना है।

5.4 **कार्यरत बल के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता**:- स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर ही किया जाय । वर्ष के दौरान संभावित नियुक्तियों के लिए पूरक बजट में प्रावधान किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में रिक्त पदों के विरुद्ध वेतनादि मद में बजट उपबंध नहीं किया जाय। *वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए वेतन एवं जीवन यापन भत्ता की गणना में वित्त विभागीय संकल्प सं0-3590 दिनांक-24.05.2017 द्वारा निर्धारित वेतनमान एवं जीवन यापन भत्ता में होने वाले अनुमानित व्यय की गणना वेतन इकाई का 68 प्रतिशत मानते हुए की जानी है। अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के जीवन यापन भत्ता में होने वाले अनुमानित व्यय की गणना अपुनरीक्षित वेतन इकाई का 280 प्रतिशत (षष्टम केन्द्रीय वेतन मान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए) एवं 510 प्रतिशत (पंचम केन्द्रीय वेतन मान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए) मानते हुए की जानी है। मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2027-28 में प्राक्कलित की जाए।*

अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिये जाते हैं, उसे 'अन्य भत्ते' नामक विस्तृत एवं विषय शीर्ष में सम्मिलित किया जाना है। स्थापना से भिन्न व्यय को वर्ष 2026-27 के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक व्यय के स्तर या उससे आवश्यकतानुसार कम से कम पर रखा जाय। अगर किसी कारण से वित्तीय वर्ष 2025-26 के वास्तविक व्यय से अधिक राशि अपेक्षित है तो उसका विस्तृत औचित्य अभ्युक्ति कॉलम **(प्रपत्र-IV)** में अवश्य स्पष्ट किया जाए।

5.5. **गाड़ियाँ, दूरभाष, मोबाईल, वर्दीधारी कर्मियों की सूचना**:- जिस उपशीर्ष में गाड़ियाँ, दूरभाष, वर्दीधारी कर्मियों पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हो, उक्त उपशीर्ष में इसकी सूचना अंकित की जाय। **(प्रपत्र-X)**

5.6. **स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची**:- प्रत्येक कोटि के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की संख्या संलग्न कर**(प्रपत्र-V)** भेजी जाय। प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/बोर्ड/वाणिज्यिक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनका वेतनादि ब्यौरा संबंधित विवरणी **(प्रपत्र-IV/V/VI/VII)** में ही दिया जाय।

5.7. वेतन राशि की गणना दिनांक-01.09.2026 को कार्यरत बल के आधार पर ही की जाय । स्वीकृत बल की सूचना प्रपत्र में अवश्य अंकित की जाय, भले ही उस बल के विरुद्ध कोई भी पदाधिकारी/कर्मी कार्यरत नहीं हों। लेकिन, रिक्त पदों के विरुद्ध वेतनादि मद में बजट उपबंध नहीं किया जाय ।

5.8. पदों की समीक्षा के क्रम में अपने अधीन कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति के स्रोतों की भी समीक्षा कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कर्मियों के वेतन का प्रावधान किया जा रहा है, वे वैध रूप से नियुक्त है।

5.9. <u>**वर्दी भत्ता**</u> :- वित्त विभागीय संकल्प सं0-3ए-3-भत्ता-01/2017-**1172/वि0 दिनांक-15.02.2018** की कंडिका- C (i) एवं C (ii) के आलोक में जिन कर्मियों को वर्ष में एकबार एकमुश्त 5000 रुपये वर्दीभत्ता अनुमान्य है, उसका प्राक्कलन, विस्तृत एवं विषय शीर्ष **0107-अन्य भत्ता** में तैयार किया जाय ।

5.10. <u>**वाहन संधारण**</u>:- सरकारी वाहनों के लिए 13.02 - वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद् में तथा भाड़े पर लिए गये वाहन के लिए 13.10 - भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद् में राशि का प्रावधान किया जाय।

5.11. विद्युत प्रभारः- ऊर्जा विभाग से परामर्श प्राप्त करते हुये प्रशासी विभाग सभी कार्यालयों के दायित्व एवं पूर्व वर्ष के वास्तिविकी के अनुरूप विद्युत प्रभार मद् (13.04) में आवश्यकता के अनुरूप समीक्षा करते हुये पर्याप्त बजट का उपबंध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

6. <u>**वार्षिक राज्य स्कीम**</u>:- राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा अन्य जनकल्याण की योजनाओं यथा- भवन निर्माण, सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, नहर का निर्माण/विस्तार, अचल संपत्ति/भूमि का क्रय आदि पर प्रस्तावित व्यय इसमें शामिल किये जाते हैं ।

6.1. सर्वप्रथम विगत वर्षों की वैसी स्कीम के लिए राशि उपबंधित किया जाय, जो राज्य सरकार का वचनबद्ध दायित्व (Committed Liability) है । वचनबद्ध दायित्वों से तात्पर्य उन सतत् स्कीमों (Ongoing Scheme) से है, जिन पर पूर्ववर्ती वर्षों में कार्य कराये गए हैं और अवशेष कार्य कराये जाने हैं ।

6.2. *कार्य विभागों के माध्यम से जो राशि व्यय की जानी है, उसके लिए राशि का प्रावधान कार्य विभागों के मांग के अन्तर्गत हीं कराये जाय ताकि संक्षिप्त विपत्र पर अग्रिम निकासी से बचा जा सके ।* बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्रों में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जाना होगा। यदि प्रशासी विभाग द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है तो प्रपत्र के

बायें भाग में प्रशासी विभाग और दायें भाग में कार्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा ।

6.3. महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न परामर्शों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु निम्न तथ्य अवलोकनीय है :-

(i) **प्राप्ति एवं व्यय हेतु लघु शीर्ष क्रमशः 800-अन्य प्राप्तियाँ एवं 800-अन्य व्यय के स्थान पर प्राप्ति एवं व्यय के अनुरूप उपयुक्त संगत लघु शीर्ष में राशि का बजटीय उपबंध कराया जाना है ।** (उदाहरणस्वरूप :- मांग सं०-12- वित्त विभाग-मुख्य शीर्ष-5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-00-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय-0101-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान-निवेश में उपबंधित राशि को व्यय की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त संगत लघु शीर्ष अंतर्गत खोले गए नये विपत्र कोड मांग सं०-12-वित्त विभाग-मुख्य शीर्ष-5465- सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश-00-लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैकों आदि में निवेश-0111-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान-निवेश मद में राशि उपबंधित किया जाना होगा ।)

(ii) **राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय बजट अन्तर्गत विस्तृत एवं विषय शीर्ष की प्रकृति क्रमशः राजस्व एवं पूंजीगत ही रखा जाना है । इससे विपरीत प्रकृति का बजटीय उपबंध स्वीकृति योग्य नहीं होता है ।** (उदाहरणस्वरूप :- राजस्व व्यय अंतर्गत विस्तृत एवं विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य मद में राशि का उपबंध नहीं किया जाना है । इसी प्रकार पूंजीगत व्यय अंतर्गत विस्तृत एवं विषय शीर्ष 2701- लघु कार्य अथवा 2702- अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में राशि का उपबंध **नहीं** किया जाना है ।)

(iii) वैसे विपत्र कोड जिनके **लघु शीर्ष 050-भूमि** है, उसके **विस्तृत एवं विषय शीर्ष 5302-भू-अर्जन** मद में ही बजटीय उपबंध किया जाना है । इस **लघु शीर्ष** अन्तर्गत अन्य विस्तृत एवं विषय शीर्षों में बजटीय उपबंध **नहीं** किया जाना है।

(iv) वैसे विपत्र कोड जिनके **लघु शीर्ष 051-निर्माण** है, उसके विस्तृत एवं **विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण** कार्य मद में ही बजटीय उपबंध किया जाना है । इस **लघु शीर्ष** अन्तर्गत अन्य विस्तृत एवं विषय शीर्षों में बजटीय उपबंध **नहीं** किया जाना है।

(v) वैसे विपत्र कोड जिनके **लघु शीर्ष 052-मशीन एवं उपस्कर** है, उसके विस्तृत एवं **विषय शीर्ष 5201-मशीन एवं उपस्कर-कार्यालय तथा विस्तृत एवं विषय शीर्ष 5202-मशीन एवं उपस्कर-अन्य मद** में ही बजटीय उपबंध

किया जाना है । इस लघु शीर्ष अन्तर्गत अन्य विस्तृत एवं विषय शीर्षों में बजटीय उपबंध **नहीं** किया जाना है।

(vi) वैसे बजटीय उपबंध जिनकी प्रकृति निवेश की है तथा बजटीय उपबंध विस्तृत एवं विषय शीर्ष-5401-निवेश में किया जाना हो तो इस हेतु **लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश** का उपयोग किया जाना है। इस प्रकार के बजटीय उपबंध हेतु **लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना एवं 796-अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना** मद का उपयोग **नही** किया जाना है ।

(vii) वैसे विपत्र कोड जिनके लघु शीर्ष-104-सतर्कता अन्तर्गत बजटीय उपबंध किया जाता रहा है, अब उसके स्थान पर नवसृजित विपत्र कोड- मुख्य शीर्ष- 2062-सतर्कता के -00- लघु शीर्ष अंतर्गत 103-लोकायुक्त/उप लोकायुक्त; 104-सतर्कता आयोग राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश; 105-अन्य सतर्कता एजेंसी अथवा अन्य अपेक्षित लघु शीर्ष में बजटीय उपबंध की जानी है । **मांग सं०-07 (निगरानी विभाग)** अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्ष-104-सतर्कता में उपबंधित राशि को मुख्य शीर्ष 2062-सतर्कता के 00- लघु शीर्ष 103-लोकायुक्त/उप लोकायुक्त; 104-सतर्कता आयोग राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश; 105-अन्य सतर्कता एजेंसी में बजटीय उपबंध की जानी है । इसी प्रकार **मांग सं०-22 (गृह विभाग)** एवं **मांग सं०-33 (सामान्य प्रशासन विभाग)** के क्रमशः मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभृत्त) के लिए भी पुराने विपत्र कोड के स्थान पर नये विपत्र कोड में राशि उपबंधित किया जाना होगा ।

(viii) **कार्य विभाग से संबंधित** विपत्र कोड जिनके मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु है, उसके अन्तर्गत **कार्यभारित व्यय एवं अन्य अनुरक्षण व्यय** हेतु राशि का उपबंध **लघु शीर्ष 103/105-अनुरक्षण एवं मरम्मत मद** में किया जाना है । कार्यभारित व्यय एवं अन्य अनुरक्षण व्यय के इतर **सड़क कार्यों पर अन्य राजस्व व्यय** हेतु राशि का उपबंध **लघु शीर्ष 337-सड़क कार्य** मद में किया जाना है ।

(ix) प्राप्ति शीर्ष अंतर्गत जुर्माना, दण्ड इत्यादि के बजटीय प्रावधान लघु शीर्ष- 503- Fines and Forfeitures के अंतर्गत किया जाना है ।

(x) राजस्व प्राप्ति अंतर्गत भू-राजस्व के चार तरह के शेष यथा शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर, कृषि उपकर एवं भूमि उपकर के लिए प्राप्ति के बजटीय संग्रह को एक ही विपत्र कोड अंतर्गत उपबंधित **नहीं** किया जाना है, बल्कि उसके लिए निर्धारित अलग-अलग HOA (Head of Account) में अलग-अलग दर्शाया जाना है ।

(xi) वैसे केन्द्र प्रयोजित स्कीम, जो SNA SPARSH से आच्छादित है, का बजटीय उपबंध केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों मद के लिए एक ही विपत्र कोड

(केन्द्रांश) में किया जाता है । इस प्रकार के बजटीय उपबंध में केन्द्र द्वारा प्रदत्त अंश एवं राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित अंश के आनुपातिक विवरण को अंकित किया जाना है।

6.4. वैश्विक विकास की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूत्रित (Formulated) सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) एवं इनसे संबंधित Targets को प्राप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है । इसके लिए राज्य में संचालित समस्त केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों एवं राज्य स्कीमों में प्रस्तावित प्रावधानों को संबद्ध (Align) किया जाय। विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके विभाग द्वारा (Sustainable Development Goals) (SDGs) के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार की गयी कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए सुसंगत स्कीमों हेतु बजटीय उपबंध का प्रावधान किया जायेगा। इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश योजना एवं विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

7. <u>केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमः-</u> इसके अंतर्गत वैसे स्कीम सम्मिलित हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकार की आनुपातिक सहायता राशि से संचालित होती है ।

7.1. वैसे केन्द्र प्रायोजित स्कीम जो **SNA SPARSH Module** में अधिसूचित नहीं हैं, उन स्कीमों के मामले में उपशीर्षवार राशि की प्रविष्टी केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए अलग-अलग विपत्र कोड में की जायेगी ।

7.2. इन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए व्यय की जाने वाली केन्द्रांश राशि के साथ-साथ प्राप्ति का भी बजट प्राक्कलन दिया जाय । अगर वित्तीय वर्ष 2026-27 अथवा इसके पूर्व के वर्षों में राशि प्राप्त हो गयी है और राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2027-28 में किया जाना प्रस्तावित है तो प्राप्ति के लिए अलग से बजट प्राक्कलन नहीं देना होगा। उन मामलों में व्यय के बजट प्राक्कलन के अभ्युक्ति कॉलम **(प्रपत्र IV)** में स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया जाय कि राशि किस स्वीकृति आदेश से किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है।

7.3. बजट उपबंध करते समय स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित Allocation तथा तीन वर्षों में प्राप्त वास्तविक राशि को ध्यान में रखा जाय।

7.4. केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात में वास्तविक Funding Pattern के अनुरूप ही बजट उपबंध किया जाय।

7.5. **SNA SPARSH Module** में अधिसूचित स्कीमों हेतु केन्द्रांश एवं इसके आनुपातिक राज्यांश राशि का उपबंध **उसी स्कीम अन्तर्गत Component wise (General, SCSP and TSP) निर्धारित केन्द्रांश मद** के विपत्रकोड में ही किया जाना

है । उपबंधित किये जाने वाले केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि के अनुपात को भी विपत्र कोड में दर्शाया जाना है ।

7.6. इन योजनाओं में चालू वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2027-28 के आय-व्ययक अनुमान योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी सीमा के अनुसार प्रस्तावित किये जायें । योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (ब्लॉक ग्रांट सहित) तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों (Central Sector Schemes) के आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित किया जाय जिनके लिए केन्द्र सरकार तथा संस्थाओं से राशि प्राप्ति के स्पष्ट संकेत प्राप्त हो गए हैं ।

वार्षिक स्कीम 2027-28 हेतु व्यय का बजट प्राक्कलन योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित उद्व्यय के अनुरूप दिया जाय और बजट प्राक्कलन देते समय यह अवश्य देख लिया जाय कि निर्धारित कर्णांकित परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन उद्व्यय के अनुरूप कर्णांकित किया गया है अथवा नहीं। वार्षिक 'स्कीमों का प्राक्कलन वित्त विभाग को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाना है जिसकी सी0एफ0एम0एस0 2.0 में प्रविष्टी प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से की जायेगी ।

8. केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम- इसके अंतर्गत वैसे स्कीम सम्मिलित हैं जो केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत राशि से राज्य में संचालित की जा रही है। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के मामले में राशि का बजटीय उपबंध करते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित Allocation तथा गत तीन वर्षों में प्राप्त वास्तविक राशि को ध्यान में रखा जाय।

9. नई परियोजनाएं:- इनके लिए बजट में राशि का उपबंध तभी किया जाय जब इनपर सक्षम स्तर से स्वीकृति दी गयी हो । यदि कोई नयी स्कीम प्रस्तावित की जा रही है तो इसके लिए वित्त विभाग के बजट शाखा से सम्पर्क स्थापित कर नया बजट शीर्ष गठित करा लिया जाए । किसी भी परिस्थिति में योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्कीमवार एवं प्रक्षेत्रवार उपलब्ध कराये गए उद्व्यय से अधिक राशि का प्रावधान नहीं किया जाय ।

10. PFMS कोड:- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप दी जाने वाली केन्द्रांश की राशि से संबंधित परियोजनाओं के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है। इन स्कीमों में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि अलग-अलग कर्णांकित होती है। *महालेखाकार कार्यालय की यह अपेक्षा है कि उक्त स्कीमों के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में किये जा रहे बजट प्रावधान से संबंधित उपशीर्ष में स्कीम कोड (PFMS CODE) एवं परियोजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जाय। वित्तीय वर्ष 2027-28 की बजट पुस्तिका में इन उपशीर्षों के नीचे केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जायेगा, जिसके लिए CFMS 2.0 सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की जा रही है।* कोड की जानकारी विभाग

को उपलब्ध नहीं होने पर इसकी सूचना वित्त विभाग के बजट शाखा से प्राप्त की जा सकती है। विभाग को उपरोक्त वर्णित स्कीम की प्रत्येक परियोजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश के उपशीर्षों में उक्त कोड तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित करना सुनिश्चित किया जाना होगा एवं इन स्कीमों के लिए प्राप्त होने वाली राशि का प्रावधान बजट की प्राप्ति पुस्तिका के जिस उपशीर्ष में अंकित होता है उसमें भी उक्त कोड दिया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा । भारत सरकार द्वारा कुछ स्कीमों के PFMS Code को बदल दिया गया है इसलिए नये कोड का मैपिंग कराना आवश्यक है।

11. राजस्व प्राप्तियाँः- इनमें राज्य के करों से प्राप्त आय, राज्य के गैर-कर जैसे Royality, सार्वजनिक उपक्रमों से अर्जित लाभांश, सरकारी उधारों पर ब्याज, अन्य स्रोतों से विभागों की आय, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदान आदि शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियों का प्राक्कलन तैयार करते समय प्रशासी विभाग द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिएः-

11.1. करों, शुल्कों(फीस) तथा अधिभारों आदि की वर्तमान दर ।

11.2. गत तीन वर्षों में प्राप्ति की वास्तविक स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्तियों की वृद्धि दर की प्रवृत्ति ।

11.3. पूर्व के वर्षों का बकाया तथा वित्तीय वर्ष 2027-28 में उसकी वसूली की संभावना ।

11.4. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनाये गए उपायों का राजस्व प्राप्तियों पर सकारात्मक प्रभाव ।

11.5. यदि विगत वर्षों में राजस्व प्राप्तियाँ घटती-बढ़ती रही हैं, तो पिछले तीन वर्षों के प्राप्तियों की औसत निकाल कर संभावित प्राप्ति की राशि निर्धारित की जाय।

11.6. मुख्य राजस्व संग्रहणकर्त्ता विभाग अपनी प्राप्तियों में संभावित वापसी को भी जोड़कर गणना करें।

11.7. ***800-अन्य प्राप्तियाँ में बजट उपबंध करना एक अपारदर्शी प्रक्रिया है। अतः लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ में यथासंभव बजट उपबंध नहीं किया जाए।*** यदि Online प्राप्ति शीर्ष (उपशीर्ष) उपलब्ध न हो तो इसे बजट शाखा से सम्पर्क कर नियमानुसार नया उपशीर्ष खोलवा लिया जाय।

11.8. प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन **प्रपत्र-1** में तैयार किया जाय।

12. नया उपशीर्षः- प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित विपत्र कोड में ही बजट उपबंध किया जाय । कोई नई परियोजना/स्कीम, जिसके लिए राशि का बजट

प्रावधान किया जाना अपेक्षित है, बजट प्रावधान करने के पूर्व वित्त विभाग तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श के उपरान्त राज्यादेश निर्गत कर, नया उपशीर्ष खोलना आवश्यक हैं । इस हेतु प्रशासी विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाय । महालेखाकार से सहमति प्राप्त होने के बाद ही नये बजट शीर्ष में उपबंधित राशि का व्यय किया जा सकता है ।

13. अन्य व्यय लघु शीर्ष-800 का प्रयोगः- महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से यह अनुरोध किया जा रहा है कि *विभिन्न मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अधीन कार्यरत उपशीर्ष में राशि का प्रावधान नहीं किया जाए* क्योंकि इससे व्यय का वास्तविक मद ज्ञात नहीं होता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय के अधिकतम उपशीर्षो को समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में कर्णाकित करवा दिया गया है । शेष बचे हुए लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय शीर्ष को वर्ष 2027-28 के बजट पुस्तिका में समाप्त कर संगत लघुशीर्ष में प्रावधान करना होगा । इसके लिए पृथक संचिका के माध्यम से वित्त विभाग प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित है ।

14. <u>वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में व्यय</u>:- वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल है । अतः वर्ष 2027-28 में 16वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में निम्नवत् बजट प्रावधान किया जाना है:-

14.1. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वर्ष 2027-28 में SDRF मद के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में क्रमशः ₹2069.25 करोड़ एवं ₹689.75 करोड़ अर्थात् कुल ₹2759.00 करोड़ तथा SDMF मद के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में क्रमशः ₹517.50 करोड़ एवं ₹172.50 करोड़ अर्थात् कुल ₹689.00 करोड़ का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है ।

14.2. SDRF & SDMF - प्राकृतिक आपदा मद की राशि के दावा हेतु भारत सरकार से **एस0डी0आर0एफ0 मद के ₹2759.00 करोड़ एवं एस0डी0एम0एफ0 मद ₹689.00 करोड़** के प्राक्कलित राशि की प्रवृष्टि धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में अलग-अलग विपत्र कोड में की जानी होगी ।

14.3. पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2027-28 में केन्द्रांश के रूप में 8506.00 करोड़ रूपये का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है, जो निम्नवत् है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

RLB's Grant	Basic Grant	Untied	3702.00
		Tied	3702.00
	Performation Grant		1102.00
		Total	**8506.00**

14.4. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2027-28 में केन्द्रांश के रूप में कुल 1697.00 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जाना अपेक्षित है, जो निम्नवत् है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

ULB's Grant	Basic Grant	1307.00
	Performation Grant	390.00
	Total	**1697.00**

15. <u>राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में व्ययः</u>- वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-2858, दिनांक-13.03.2025 द्वारा श्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में सप्तम् राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है । आयोग द्वारा उक्त अधिसूचना में संदर्भित विषयों पर अद्यतन प्रतिवेदन अनुपलब्ध है ।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए सप्तम् राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में तत्काल पूर्व वर्ष के लिए अनुमानित राशि के समान निम्नवत् बजट प्रावधान किया जाना है:-

15.1 वित्तीय वर्ष 2027-28 में अंतरिम रूप में 8718.33 करोड़ रुपये सीधे तौर पर सभी स्थानीय निकायों को अनुदान स्वरूप दी जाएगी, जिसमें 5194.09 करोड़ रुपये **Devolution** के रूप में, 3524.24 करोड़ रुपये **Grant** के रूप में देय होगा ।

15.2 वित्तीय वर्ष 2027-28 में अंतरिम रूप में पंचायती राज संस्थाओं को 5666.92 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 3051.41 करोड़ रुपये कुल 8718.33 करोड़ रुपये सीधे तौर पर सहायक अनुदान के रूप में दिया जाना है, जिसके लिए बजट प्रावधान संबंधित प्रशासी विभाग को कराना होगा ।

15.3 वित्तीय वर्ष 2027-28 के वास्तविक आय एवं व्यय के आँकड़े प्राप्त होने के उपरांत वर्तमान उपबंध को संशोधित कर दिया जायेगा।

16. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम/सहकारी संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थान/स्थानीय एवं स्वशासी निकायों/अन्य एकल ऋणी के मूलधन एवं सूद का विवरणः- किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम/सहकारी संस्थाओं/ शैक्षणिक संस्थान/ स्थानीय एवं स्वशासी निकायों/अन्य एकल ऋणी द्वारा लिया गया ऋण, जिसके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का है, के संबंध में उक्त भुगतान किये जाने वाले मूलधन एवं सूद की राशि का विवरण तैयार कर भेजा जाय । **(प्रपत्र-III)**

भाग-ग : पुनरीक्षित प्राक्कलन निर्मित करने के लिए ध्यान योग्य तथ्य

31. वित्तीय वर्ष 2026-27 का पुनरीक्षित प्राक्कलन :

31.1 वित्तीय वर्ष 2027-28 की मांगवार बजट पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वास्तविकी, वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्राक्कलन, वित्तीय वर्ष 2026-27 का पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट प्राक्कलन को अंकित किया जाना है ।

31.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के वास्तविक व्यय की प्रविष्टि महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्राप्त वास्तविक व्यय प्रतिवेदन के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा किया जाएगा ।

31.3 बजट मैनुअल के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को विनियोग की हर इकाई के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित प्राक्कलन का आकलन करना है । पुनरीक्षित प्राक्कलन के इन आँकड़ों को वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट प्राक्कलन के निर्धारित स्तम्भ में अंकित किया जाना है ।

31.4 पुनरीक्षित प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुनर्विनियोग, अनुपूरक आगणन, बिहार आकस्मिकता निधि द्वारा प्रावधानित राशि एवं प्रत्यर्पित राशि/संभावित प्रत्यर्पित राशि के आधार पर किया जाय । इस संबंध में बजट मैनुअल के नियम 97 से 115 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन यथासंभव वास्तविकी के आस-पास होना चाहिए ।

31.5 बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन के आंकड़ों का आकलन विभाग को समय पर करना है, ताकि अतिरिक्त राशि की यदि आवश्यकता हो, तो उसका प्रावधान अनुपूरक मांग के आधार पर किया जा सके तथा वैसी अतिरिक्त राशि, जिसके खर्च की संभावना न हो, का प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर, 2026 तक विहित प्रपत्र में कर दिया जाय । उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्पण संबंधी ये आंकड़े अंतिम नहीं होंगे, क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद भी अनुपूरक/अग्रिम/पुनर्विनियोग/ प्रत्यर्पण की संभावना बनी रहती है ।

31.6 विभागों में सामान्यतः एक धारणा है कि उनके द्वारा की गई कोई अधिक मांग या संशोधित अनुमान के माध्यम से की गई कोई वृद्धि/कटौती स्वतः ही अतिरिक्त व्यय अनुमत करती है अथवा बजट के औपचारिक प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, वास्तविकता इसके विपरीत है । अतः समस्त बजट नियंत्री पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(क) संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान या अतिरिक्त व्यय को सम्मिलित करना, पुनर्विनियोजन या पूरक अनुदानों के माध्यम से अतिरिक्त

ज्ञापांक – पत्रांक- ब15/बी०एस०जी०-295/2026- 967 /वि0 पटना, दिनांक– 11.08.2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि बजट मैन्युअल के नियम 61 (अपेंडिक्स–IV) में वर्णित विषयों, जिसमें महालेखाकार प्राक्कलन पदाधिकारी है, के प्राक्कलन निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग को भेजवाने की कृपा की जाय।

(संजीव मित्तल)

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक – पत्रांक- ब15/बी०एस०जी०-295/2026- 967 /वि0 पटना, दिनांक– 11.08.2026

प्रतिलिपि–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/महानिरीक्षक(कारा), गृह विभाग/सचिव, राजस्व पर्षद्/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/लोकायुक्त के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)

अपर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक – पत्रांक- ब15/बी०एस०जी०-295/2026- 967 /वि0 पटना, दिनांक– 11.08.2026

प्रतिलिपि– निदेशक, सिविल विमानन विभाग/निदेशक, राजभाषा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निदेशक, सैनिक कल्याण, गृह विभाग/महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन विभाग/निदेशक, भविष्य निधि, वित्त विभाग/निदेशक, सांस्थिक वित्त, वित्त विभाग/सचिव, वाणिज्य–कर न्यायधिकरण, वाणिज्य–कर विभाग/निदेशक, राज्य योजना पर्षद, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, पंचायत, पंचायती राज विभाग/निदेशक, स्थानीय निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग/ निदेशक, कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, आई०सी०डी०एस०, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग/निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग/निदेशक, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनिकी शिक्षा विभाग/निदेशक, उद्योग विभाग/निदेशक, हस्तकरघा, उद्योग विभाग/निदेशक, तकनिकी, उद्योग विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग/निदेशक, सामाजिक वानिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग/निदेशक, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि विभाग/निदेशक, मत्स्य, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग/निदेशक,

अनुलग्नक-1

य वर्ष 2027-28 के बजट निर्माण हेतु विस्तृत शीर्ष/विषय शीर्षों की सूची :-

विस्तृत शीर्ष (Detailed Head)	विषय शीर्ष (Object Head)	मद का नाम
01-वेतन	01	वेतन
	02	विशेष वेतन
	03	जीवन यापन भत्ता
	04	मकान किराया भत्ता
	05	परिवहन भत्ता
	06	चिकित्सा भत्ता
	07	अन्य भत्ता
	08	त्योहार अग्रिम
02-मजदूरी	01	मजदूरी
04-पेंशन संबंधी प्रभार	01	पेंशन/औपबंधिक पेंशन
	02	**विलोपित**
	03	पारिवारिक पेंशन
	04	उपादान
	05	रूपान्तरित मूल्य
	06	छुट्टी नगदीकरण
05-पुरस्कार	01	पुरस्कार
06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति
11-यात्रा व्यय	01	यात्रा व्यय
13- कार्यालय व्यय	01	कार्यालय व्यय
	02	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव
	03	दूरभाष
	04	विद्युत प्रभार
	05	विधि प्रभार
	06	वर्दी/पोशाक
	07	विद्युत प्रभार-डी0पी0एस0
	08	हथालन व्यय
	09	कमिशन
	10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान
	11	आपदा उपकरण - कार्यालय
14- किराया दरें और कर	01	किराया महसूल एवं कर

15-रायल्टी	01	रायल्टी
16-प्रकाशन	01	प्रकाशन एवं मुद्रण
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	01	आतिथ्य व्यय
	02	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार
	03	प्रशिक्षण व्यय
21- सामग्री और आपूर्ति	01	सामग्री एवं पूर्तियां
	02	दवा भण्डार
	03	आहार/ पथ्य
22- शस्त्र और गोला बारूद	01	शस्त्र और गोला-बारुद
23- राशन की लागत	01	राशन की लागत
24-पी.ओ.एल.	01	पी0ओ0एल0
26- विज्ञापन और प्रकाशन	01	विज्ञापन और प्रकाशन
27- लघु कार्य	01	लघु कार्य
	02	अनुरक्षण एवं मरम्मत
28- व्यावसायिक सेवायें	02	संविदा सेवायें
	03	कन्सल्टेन्सी
	04	व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें
	05	परीक्षा संबंधी व्यय
31- सहायता अनुदान	04	सहायक अनुदान-वेतन
	05	सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण
	06	सहायक अनुदान-गैर वेतन
32- अंशदान	01	अंशदान
33- सब्सिडी	01	सब्सिडी
	02	मुआवजा
34- छात्रवृत्ति/वजीफा	01	छात्रवृत्ति/वजीफा
	02	प्रोत्साहन
35-राहत	01	नगद/ वस्तु
36-विवेकानुदान	01	विवेकानुदान
37-अनुग्रह अनुदान	01	अनुग्रह अनुदान
41- गुप्त सेवा व्यय	01	गुप्त सेवा व्यय
44- विनियम संबंधी विभिन्तायें	01	विनियम संबंधी विभिन्तायें
45- ब्याज	01	ब्याज
46- कर/शुल्क का अंश	01	कर/शुल्क का अंश (लोकल बॉडीज को कर/शुल्क का अंशदान)
51- मोटर वाहन	01	मोटर गाड़ी- कार्यालय
52- मशीनें एवं उपस्कर	01	मशीनें एवं उपस्कर- कार्यालय
	02	मशीनें एवं उपस्कर- अन्य

ख्य निर्माण कार्य	01	मुख्य निर्माण कार्य
	02	भू-अर्जन
54- निवेश	01	निवेश
55- ऋण एवं अग्रिम	01	ऋण एवं अग्रिम
56- उधार की वापसी	01	उधार की वापसी
60- अन्य पूंजीगत व्यय	01	अन्य पूंजीगत व्यय
61- मूल्य ह्रास	01	मूल्य ह्रास
62- आरक्षित निधियां	01	आरक्षित निधियां
63- अंतः लेखा अंरतरण	01	अंतः लेखा अंरतरण
64- बट्टा खाता/ हानियां	01	बट्टा खाता/ हानियां
70- व्यय में कमी	01	व्यय में कमी

ANNEXURE - I

ESTIMATE OF RECEIPTS

Department.....
Major Head :..... Submajor Head:.....
Minor Head: ..... Subhead:.....

(In Rupees.)

Object Head Code	Object Code Description	Actuals			B.E. Current Year	Actuals		R.E. Current year		B.E. Ensuing year		
		Preceding Year - III	Preceding Year - II	Preceding Year - I		Up to 1st six Month of preceding year-I	Up to 1st six Month of current year	Proposed by Controlling officer (AD/BCO/BEO)	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

ANNEXURE-II

TAX REVENUES RAISED BUT NOT REALISED

(As at the end of the Year 2025-26)

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT :(AUTO POPULATED)

Head of Account - (Auto Populate)

(In Rupees.)

Major Head	Description	Amount under dispute					Amount not under dispute					Grand Total (7 + 12)
		Over 1 year but less than 2 years	Over 2 year but less than 5 years	Over 5 year but less than 10 years	Over 10 year	Total (3+4+5+6)	Over 1 year but less than 2 years	Over 2 year but less than 5 years	Over 5 year but less than 10 years	Over 10 year	Total (8+9+10+11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Total												

Signature and Designation of Controlling Officer

Date:-

ANNEXURE-III

OF LOAN REPAYMENT/ INTEREST PAYMENT BY PSUs/ ULBs/ AUTONOMOUS BODIES / STATUTORY CORPORATIONS / CO-OPERATIVES / EDUCATIONAL INSTITUTIONS / OTHER INDIVIDUAL LOANEES

INISTRATIVE DEPARTMENT :(AUTO POPULATED)

Head of Account - (Auto - Populate)

S. No.	Name of the Organisation	Paid up Capital as on 31.03.26	Govt. loans outstanding as on 31.3.26	Defaults in respect of dues up to 31.3.26, if any	Recoveries during 2026-27 (upto September 2026) -		Estimates	Interest			Principal		
					(a) Current Dues	(b) Defaulted dues		BE 2026-27	RE 2026-27	BE 2027-28	BE 2026-27	RE 2026-27	BE 2027-28
Total													

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

ANNEXURE - IV
(RULE 35(E))

BUDGET YEAR : ..... (IN RUPEES)

STATEMENT OF EXPENDITURE PROPOSALS FOR BUDGET DISCUSSION (ANNUAL SCHEME & ESTABLISHMENT AND COMMITTED)

Dept. Name/ Appropriation Name: ..... Group Head:..... Major Head :..... Submajor Head:.....
Demand No/ Appropriation No:..... Minor Head: ..... Subhead:..... Bill Code: .....

		Actuals				Actuals		R.E. Current year		B.E. Ensuing year		
Object Head Code	Object Code Description	Preceding Year - III	Preceding Year - II	Preceding Year - I	B.E. Current Year	Up to 1st six Months of preceding year- I	Up to 1st six Months of current year	Proposed by Controlling officer(AD/BCO/BEO)	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by Controlling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(a) Pay of Officers/ Emp.											
0101	Pay											
	(b) Other											
0501	Award											
0601	Medical reimbursement											
1101	Travelling Expenses											
1301	Office expenses											
	Others											
Grand Total												

Notes:
1. Separate forms Shall be filled for each Sub Head / Bill code.
2. Separate forms Shall be filled for establishment & committed expenditure, State Scheme, Centrally Sponsored Schemes (CSS) and Central Sector Scheme .
3. "Voted" and " Charged" Items should be shown separately.

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

ANNEXURE - V

BUDGET YEAR :.....

DETAILS OF POSTS / NOMENCLATURE - DETAILS OF SANCTION AND WORKING STRENGTH STATEMENT

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT - :(AUTO POPULATED)

SAO/DDO :(AUTO POPULATED)

Demand No/ Appropriation No:

Major Head : Submajor Head:

Minor Head: Subhead:

(Amount in Rupees

Sl No	Classification of Posts (Group-A, B, C, D)	Designation	Preceding Year No. of Posts		Current Year No. of Posts		Difference (7-5)	Pay Band/Pay Scale	Grade Pay/ Level	Pay 0101	Special Pay 0102	D.A 0103	HRA 0104	TA 0105	MA 0106	OA 0107	Total	Remarks
			Total Sanction Post	Total Working Post	Total Sanctioned Posts up to 1st Sept of Current Year	Total working Post up to 1st Sept of Current Year												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total																		

TA – Travelling Allowance; MA – Medical Allowance; OA – Other Allowance

Notes: 1. Separate forms shall be filled for each subhead/bill code.
2. "Voted" and "Charged" terms should be shown separately.

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

ANNEXURE-VI

DEPARTMENT-WISE INFORMATION ON CONTRACTUAL EMPLOYEES AS ON DATE .....

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT :(AUTO POPULATED) SAO/DDO :(AUTO POPULATED)

Head Of Account : (Auto Populated) (Amount in Rupees.)

Sl. No.	Name of Office / Establishment	Name of the Post(s)	Number of Post(s)	G.O. No. & Date in which post(s) has been created	Mode of Engagement of Date		Prescribed contractual remuneration	Scale of Pay of the post	Remarks
					Direct Engagement	Engagement through service provider / agency			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

ANNEXURE –VII

ESTIMATES OF GRANTS-IN-AID

(ESTABLISHMENT & COMMITTED / STATE SCHEME / CENTERAL SECTOR SCHEME/ CENTERAL SPONSORED SCHEME SEPARATELY)

NISTRATIVE DEPARTMENT :(AUTO POPULATED)

D OF ACCOUNT-

(In Rupees.)

S. No.	Name of Organisation	Teaching/Non-Teaching Posts	Scale of Pay	Total sanctioned and approved strength	No. of Vacancies as on 1.3.2026	Sharing pattern by State Govt.	RE for 2026-27	Estimate of current salary for 2027-28						Arrears salary if any; give the particulars	Total estimates for 2027-28 (11+12)
								Pay	DA	HRA	MA	OA	Total (6 to 10)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Total															

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

Notes :-

1. For salaries drawn under direct payment system information in respect of Colleges, Secondary Schools and Primary Schools be compiled and furnished in separate statements. The information for Secondary Schools and Primary Schools be furnished in separate statements for each Block and each District of Schools.

2. In regard to grant-in-aid to meet the share up to a particular limit similar information may be furnished separately for Colleges and Schools in separate Statements.

3. The U.D. & H Department need furnish similar information in respect each U.L.Bs provided with grants-in-aid upto a specified percentage of pay and Dearness Allowance.

4. Panchayati Raj Department shall furnish in respect of the posts for which Govt. provides Grants-in-aid.

5. Agriculture Deptt./Industry Deptt./H & FW Deptt. and other Departments providing Grants-in-aid for salary are also to furnish.

ANNEXURE – VIII

Information on Work-charged,

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT : (AUTO POPULATED)

SAO/DDO : (AUTO POPULATED)

Head Of Account : (Auto Populated)

Category of Employee (Group - A, B, C and D)	Scale of Pay in case of regular appointment	Consolidated remuneration on adhoc appointment	Sanctioned Strength	No. of Employee in position as on 01.03.26	Post abolished after 01.03.26	New addition after 01.03.26	Present Strength (5 – 6 +7)	Budget Provision for salary/wages during 2026-27 (Head of account wise)	Budget Provision proposed for 2027-28 (Head of account wise)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Total									

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

ANNEXURE– X

(POSITION OF MOVABLE ASSETS AND INVENTORIES)

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT : (AUTO POPULATED)

Head Of Account: (Auto Populated)

Category of Vehicles/Items	No. of Vehicles/Items	Remarks
(1)	(2)	(14)
Two wheeler - Without Fuel		
Two wheeler - With Fuel		
Four wheeler - MUV		
Four wheeler - SUV		
Heavy Vehicle		
Telephones		
Mobile		
Fax		
Data Card		
Computer		
Computer Accessories		
No. of Uniforms - For eligible Employees		
Other		
Total		

Signature and Designation of Controlling Officer
Date:-

Annexure-XI

PROFORMA FOR GENDER BASED BUDGETING

Category A - 100 % for Women

Administrative Department:
Demand Number:

(Amount in Rupees)

Sl. No.	Head of Account	Scheme Name	FY: 2025-26 Actuals- Gender Budget	FY: 2026-27 B.E.- Gender Budget	FY: 2026-27 R.E.- Gender Budget	FY: 2027-28 Total- B.E.	FY: 2027-28 B.E.- Gender Budget
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature and Designation of Controlling Officer

Date:

Category B - At Least 30% but less than 100 % for Women

Administrative Department:
Demand Number:

(Amount in Rupees)

Sl. No.	Head of Account	Scheme Name	FY: 2025-26 Actuals- Gender Budget	FY: 2026-27 B.E.- Gender Budget	FY: 2026-27 R.E.- Gender Budget	FY: 2027-28 Total- B.E.	FY: 2027-28 B.E.- Gender Budget
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature and Designation of Controlling Officer

Date:

Note 1 Columns 4, 5 and 6 indicate Actual, Budget Estimates, Revised Estimates respectively for the Current Financial Year, for Gender Budget. The Controlling Officers need to ensure the entry of figures accordingly.

2 Columns 7 and 8 indicate Total Budget Estimate and Gender Budget Estimate respectively, for the Ensuing Financial Year. The Controlling Officers need to ensure the entry of figures accordingly. The Controlling Officers need to ensure the entry of figures accordingly.

ANNEXURE-XII

PROFORMA FOR OUTCOME BUDGET

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT.....

Demand No.....

(Rs. in lac)

Sl. No.	Head of Account	Nature of Scheme	Name of Program	2027-2028 (B.E.)			Outcome (Description)
				Central Share	State Share	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature & Designation of Controlling officer

Date

ANNEXURE-XIV

PROFORMA FOR GREEN BUDGET

IDENTIFICATION OF DEPARTMENT-WISE RELEVANT SCHEMES FOR GREEN BUDGET STATEMENT IN BIHAR

DEPARTMENT -

(Rs. in lac)

Sl. No.	Budget Code	Sector (Major Head or Major Function	Programme/Scheme (Sub Head)	Budget Detail			Gree Budget Detail			Environmental Sustainability Relevance
				FY 2026-27		FY 2027-28	FY 2026-27		FY 2027-28	
				BE	RE	BE	BE	RE	BE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										

Signature & Designation of Controlling officer

Date

Annexure-XV

Budget Estimates for Research & Development Schemes : Department wise Schedule

Name of Department:

(Rupees in Lac)

Table 1. R&D Budget (Total)

Bill Code	R&D Budget (Total)						
	Detail Code	Name of Scheme	2025-26 (Actuals)	2026-27 BE	2026-27 RE	2027-28 BE	Remarks (Brief Information About Scheme)
1	2	3	4	5	6	7	8

Table 2. R&D Budget (State Schemes)

Bill Code	R&D Budget (State Schemes)						
	Detail Code	Name of Scheme	2025-26 (Actuals)	2026-27 BE	2026-27 RE	2027-28 BE	Remarks (Brief Information About Scheme)
1	2	3	4	5	6	7	8

Table 3. R&D Budget (Centrally Sponsored Schemes/Central Sector Schemes)

Bill Code	R&D Budget (Centrally Sponsored Schemes/Central Sector Schemes)						
	Detail Code	Name of Scheme	2025-26 (Actuals)	2026-27 BE	2026-27 RE	2027-28 BE	Remarks (Brief Information About Scheme)
1	2	3	4	5	6	7	8

Table 4. R&D Budget (Establishment and Committed)

Bill Code	R&D Budget (Establishment and Committed)						
	Detail Code	Name of Scheme	2025-26 (Actuals)	2026-27 BE	2026-27 RE	2027-28 BE	Remarks (Brief Information About Scheme)
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature and Designation of Controlling Officer

Date: